न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 97 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
भोलाराम पुत्र श्री देवाराम कौम रबारी निवासी पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. मंजुला पत्नी श्री बांकाराम जाति जांगीड़ निवासी पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा सड़ा तहसील सिणधरी 3. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 26 / 2022 बअनवान मंजुला बनाम भोलाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 30.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जोगराज पोटलिया रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—29.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मौजा पायला कला तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 590 / 1 रकबा 1.9416 हैक्टयर में आने जाने हेतु रास्ता मुझ अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 607 रकबा 2.3946 हैक्टयर में से पाने हेतु पेश किया। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थी अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेता है, जिससे प्रार्थीगण को अवागमन अवरूद्ध हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट के नाम से नोटिस जारी करने का कोई हवाला नहीं दिया गया है तथा न ही आदेशिका में नोटिस जारी करने का हवाला दिया तथा न ही नोटिस जारी करने बाबत कोई इनवर्ड नम्बर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विप्रार्थी की तामिली पर बिना कोई मत प्रकट किये वकील प्रार्थीनी के मौखिक निवेदन पर बिना कोई विप्रार्थीगण का पक्षक जाने उसी दिन मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट पर अपीलांट का पक्ष जाने बिना ही तथा बिना पक्षकारों की सहमति व राजीनामे की गुजाईश के फालो अप शिविर पायला कला में अपीलांट को बिना कोई सूचना एवं नोटिस के पत्रावली सुनवाई हेतु नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब कर दी गई जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर हल्का पटवारी व आर आई को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया, जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने मौके पर जाये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उतरदाता संख्या 01 से निजी लाभ प्राप्त करते हुऐ उनके कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई जबकि अपीलांट के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 590/1 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 590 व 575 में से आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध है। प्रार्थीनी ने रास्ता खसरा नम्बर 607 व 606/1 के सेढा–सेढा चाहा गया है तब खसरा नम्बर 606/1 के खातेदारों को पक्षकार बनाकर पक्ष लिया जाना धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना में नियत है। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व उभयपक्ष के नाम से सम्मन जारी किये गये जिस पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त अपीलांट को नहीं सुने जाने का कथन किया गया जबकि मौका रिपार्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट को दिनांक 27.03.2022 को मौके पर उपस्थित रहने हेतु अपीलांट स्वयं से सम्मन तामील करवाया गया। जो पत्रावली पर उपलब्ध है जो तामील की तारीफ में आता है। इसलिए अपीलांट का उपरोक्त आधार निराधार एवं कपोल कल्पित है। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। मौका फर्द दिनांक 28.03.2022 में स्पष्ट किया गया है कि "ग्राम पायला कला क खेत खसरा न. 607 किस्म बा.सोयम भूमि में से खसरा न. 590/1 तक जाने हेतु प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है जबकि खसरा न. 590/1 तक पहुंचने हेतु मौके पर कोई कटान रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, अतः उक्त खसरों को कटान रास्ते से जोड़ने हेतु खसरा न. 607 में से होते हुए खसरा न. 590/1 तक पहुचने का एक मात्र जरिया है इसके अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं है।" रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 26/2022 बअनवान मंजुला बनाम भोलाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 30.05.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर